# न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
## जिला सवाई माधोपुर
### पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 121/2024 | 4.10.2024 | 30.07.2025 |

1. सपना पत्नि प्रकाश, निवासी खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
2. निकिता पुत्री प्रकाश, निवासी खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
3. मानसिंह पुत्र रामजीलाल, निवासी खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
4. गोविन्द पुत्र रामजीलाल, निवासी खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
5. विजय पुत्र रामजीलाल, निवासी खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
6. सूरजमल पुत्र रामजीलाल, निवासी खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :—श्री नरेन्द्र वर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी संख्या 1 के स्व0 ससुर, वादी संख्या 2 के स्व0 दावा बत्तू एवं वादी संख्या 3 ता 6 के स्व0 पिता रामजीलाल द्वारा साबिक भूमि ख0न0 213 रकबा 1बीघा 3 बिस्वा ग्राम खानपुर बडौदा भूमि के खातेदार रामचरण, फूलचंद पुत्रान कल्ला, मदन, रामलाल पुत्रान कल्ला निवासी खानपुर बडौदा से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.10.1980 को खरीद की गई थी और खरीद के साथ ही क्रेता बत्तू व रामजीलाल पुत्रान मंगल द्वारा विक्रेतागण से भूमि साबिक ख0न0 213 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया, तभी से वादीगण के पूर्वज अपनी खरीदशुदा खातेदारी की भूमि का काबिज काश्त चले आ रहे है। भू प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0न0 213 का नवीन ख0न0 233 रकबा 0.26 हे0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

दर्ज किया गया है। वादी संख्या 1 के ससुर एवं वादी संख्या 2 के दादा बत्तू का दिनांक 3.5.1995 को निधन हो चुका है। बत्तू की मृत्यु के बाद वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 के पिता प्रकाश अपने हिस्से की भूमि की काबिज काश्त रहा और प्रकाश पुत्र बत्तू की मृत्यु 2013 मे हो जाने के पश्चात वादी संख्या 1 व 2 अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इसी प्रकार रामजीलाल पुत्र मंगल की दिनांक 16.8.01 को मृत्यु होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 उपरोक्त ख0न0 की खातेदारी भूमि के 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इस भूमि से किसी अन्य का कोई वास्त नही रहा है। राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त नही किया गया है और आज तक रजिस्टर्ड विक्रय शुदा भूमि का राजस्व रिकॉड पूर्व खातेदार के नाम ही चला आ रहा है जबकि बत्तू व रामजीलाल पुत्रान मंगल के नाम दिनांक 22.10.80 को ही भूमि साबिक ख0न0 213 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित करवाया जा चुका है। इस प्रकार पूर्व खातेदारों के वादग्रस्त भूमि मे समस्त अधिकार समाप्त हो गये है और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.10.1980 के निष्पादन के पश्चात ही विक्रय की गई भूमि मे क्रेतागण अर्थात वादीगण के पूर्वजो का हक अधिकार उत्पन्न हो चुका है। वादीगण अधिकांशतः बाहर रहकर मजदूरी करते है और समय समय पर आकर कृषि कार्य करते रहते है। वादीगण सदैव इसी विश्वास मे रहे कि भूमि हाल ख0न0 233 रकबा 0.26 है0 वादीगण के पूर्वजो की रजिस्टर्ड खरीदशुदा भूमि है। भूमि पर वादीगण काबिज चले आ रहे है। भूमि मे फार्मपौण्ड बनवाने के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त करने राजस्व रिकार्ड की जब नकल निकलवाई तो वादीगण को [illegible]आ कि राजस्वकर्मियो की गलती के कारण भूमि की खातेदारी वर्तमान मे [illegible] पूर्व खातेदारों के नाम दर्ज चली आ रही है जबकि वादग्रस्त भूमि को वादीगण के पूर्वज जरिए रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:39 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

विक्रय पत्र दिनांक 22.10.1980 को क्रय कर चुके है तथा भूमि पर कब्जा क्रय दिनांक से वादीगण व वादीगण के पूर्वजो का चला आ रहा है। वादीगण ने इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी के न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी द्वारा वादीगण को श्रीमानजी के न्यायालय मे कार्यवाही करने हेतु कहा गया। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जावे कि भूमि साबिक ख0न0 213 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा ग्राम खानपुर बडौदा वादी संख्या 1 के स्व0 ससुर व वादी संख्या 2 के स्व0 दादा बत्तू एवं वादी संख्या 3 ता 6 के स्व0 पिता रामजीलाल द्वारा दिनांक 22.10.1980 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की गई थी एवं भूमि पर इन्ही का कब्जा चला आ रहा है। इसलिए वादीगण को भूमि हाल ख0न0 233 रकबा 0.26 है0 ग्राम खानपुर बडौदा का खातेदार घोषित किया जावे व वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे खातेदार के रूप मे दर्ज किया जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह ख0न0 233 रकबा 0.26 है0 के वादीगण के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजामहज न तो स्वयं पैदा करे ना किसी दीगर से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी बाबजूद तामील उपस्थित नही हुए और ना ही प्रतिवादी की ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत किया गया है।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल विक्रय पत्र दिनांक 22.10. 1980 प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 178 ग्राम खानपुर बडौदा प्रदर्श 2, फोटोकॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र बत्तू जाटव, रामजीलाल जाटव, प्रकाश जाटव, फोटोकॉपी नकल … प्रस्तुत किये है एवं बयान वादी सपना पत्नी प्रकाश … गोविन्द पुत्र रामजीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:39 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)
उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)
सत्यमेव जयते

पी.डब्ल्यू 2, वादी विजय पी.डब्ल्यू 3, वादी मानसिंह पी.डब्ल्यू. 4, वादी सूरज पुत्र रामजीलाल पी.डब्ल्यू 5 कराये है।

बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। नकल विक्रय पत्र दिनांक 22.10.1980 प्रदर्श 1 के अनुसार रामचरण, फूलचंद पिता कल्ला व मदन, रामलाल, रमेश नाबालिगान पिता कल्ला जरिए रामचरण भाई निवासी खानपुर बडौदा ने उनकी खातेदारी की भूमि ख0न0 213 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा ग्राम खानपुर बडौदा बत्तू व रामजीलाल पिता मंगल निवासी खानपुर बडौदा को विक्रय की है। इस साबिक ख0न0 213 का भूप्रबन्ध मे नवीन ख0न0 233 रकबा 0.26 है0 कायम किया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.10.1980 के अनुसार भूमि साबिक ख0न0 213 क्रेतागण बत्तू और रामजीलाल के नाम भूप्रबन्ध कार्य के चलते राजस्व अभिलेख मे दर्ज नही हुई एवं भूप्रबन्ध के दौरान साबिक ख0न0 213 का नवीन ख0न0 233 रकबा 0.26 है0 कायम किया गया। वह भी भूमि के क्रेतागण बत्तू व रामजीलाल के नाम राजस्व अभिलेख मे भूप्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज नही की गई तथा भूमि के पूर्व खातेदारों के नाम ही इसका अंकन कर दिया गया। भूमि के क्रेतागण बत्तू व रामजीलाल का देहान्त हो चुका है। जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत फोटोकॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र से प्रमाणित है। वादीगण मृतक बत्तू व रामजीलाल के वारिस है एवं बत्तू व रामजीलाल द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.10.1980 से क्रय की गई भूमि साबिक ख0न0 213 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से बने हाल ख0न0 233 रकबा 0.26 है0 की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। फलस्वरूप वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)
सत्यमेव जयते

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादीगण को भूमि हॉल ख0न0 233 रकबा 0.26 है0 ग्राम खानपुर बडौदा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व अभिलेख मे यह भूमि वादीगण की खातेदारी मे दर्ज की जावे व राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरुस्ती की जावें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (...) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स0मा0)

( बृजेन्द्र मीना )
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:39 IST
Reason: SelfAttested

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
**(Civil Proceede Code, Appendix D-1)**

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

उनवान

1. सपना पत्नि प्रकाश, निवासी खानपुर बडौदा तह० गंगापुर सिटी
2. निकिता पुत्री प्रकाश, निवासी खानपुर बडौदा तह० गंगापुर सिटी
3. मानसिंह पुत्र रामजीलाल, निवासी खानपुर बडौदा तह० गंगापुर सिटी
4. गोविन्द पुत्र रामजीलाल, निवासी खानपुर बडौदा तह० गंगापुर सिटी
5. विजय पुत्र रामजीलाल, निवासी खानपुर बडौदा तह० गंगापुर सिटी
6. सूरजमल पुत्र रामजीलाल, निवासी खानपुर बडौदा तह० गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. —121/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरेन्द्र वर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई ...............मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादीगण को भूमि हॉल ख०न० 233 रकबा 0.26 है० ग्राम खानपुर बडौदा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व अभिलेख मे यह भूमि वादीगण की खातेदारी मे दर्ज की जावे व राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.07.2025 को [illegible] गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:39 IST
Reason: SelfAttested

( बृजेन्द्र मीना )
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)